

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 568  
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है  
राजमार्गों की स्वीकृति, मरम्मत और रख-रखाव

568. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई हैं/अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रख-रखाव के लिए विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का नेटवर्क मार्च, 2014 में 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात घनत्व, सड़क की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

सरकार ने 2024-25 के दौरान 4.6 लाख करोड़ रुपये की लागत से लगभग 12,600 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वीकृति/मंजूरी के लिए एक कार्यसूची (पाइपलाइन) तैयार की है, जिसमें से अब तक लगभग 78,400 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2,200 किलोमीटर लंबाई के कार्यों को मंजूरी/स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार व्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

‘राजमार्गों की स्वीकृति, मरम्मत और रखरखाव’ के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 568 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि तथा किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा : -

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राशि करोड़ रुपये में       |      |
|---------|-------------------------|----------------------------|------|
|         |                         | 2024-25 (31.10.2024<br>तक) |      |
|         |                         | आवंटन                      | व्यय |
| 1       | आंध्र प्रदेश            | 159                        | 120  |
| 2       | अरुणाचल प्रदेश          | 56                         | 18   |
| 3       | असम                     | 191                        | 98   |
| 4       | बिहार                   | 115                        | 89   |
| 5       | छत्तीसगढ़               | 53                         | 41   |
| 6       | गोवा                    | 15                         | 4    |
| 7       | गुजरात                  | 357                        | 288  |
| 8       | हरियाणा                 | 110                        | 73   |
| 9       | हिमाचल प्रदेश           | 123                        | 97   |
| 10      | झारखण्ड                 | 136                        | 61   |
| 11      | कर्नाटक                 | 307                        | 211  |
| 12      | केरल                    | 29                         | 13   |
| 13      | मध्य प्रदेश             | 191                        | 155  |
| 14      | महाराष्ट्र              | 199                        | 162  |
| 15      | मणिपुर                  | 62                         | 51   |
| 16      | मेघालय                  | 39                         | 24   |
| 17      | मिजोरम                  | 37                         | 25   |
| 18      | नागालैंड                | 58                         | 45   |
| 19      | ओडिशा                   | 91                         | 79   |
| 20      | पंजाब                   | 74                         | 66   |
| 21      | राजस्थान                | 679                        | 654  |
| 22      | सिक्किम                 | 17                         | 12   |
| 23      | तमिलनाडु                | 242                        | 224  |
| 24      | तेलंगाना                | 113                        | 39   |
| 25      | त्रिपुरा                | 19                         | 19   |
| 26      | उत्तर प्रदेश            | 470                        | 432  |

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र       | राशि करोड़ रुपये में       |      |
|---------|-------------------------------|----------------------------|------|
|         |                               | 2024-25 (31.10.2024<br>तक) |      |
|         |                               | आवंटन                      | व्यय |
| 27      | उत्तराखण्ड                    | 160                        | 97   |
| 28      | पश्चिम बंगाल                  | 115                        | 65   |
| 29      | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 21                         | 21   |
| 30      | दिल्ली / मुख्यालय             | 26                         | 26   |
| 31      | जम्मू और कश्मीर               | 43                         | 35   |
| 32      | लद्दाख                        | 6                          | 6    |
| 33      | पुदुचेरी                      | 3                          | 0    |
| 34      | बीआरओ*                        | 200                        | 145  |

\*बीआरओ के लिए राज्यवार आवंटन / व्यय नहीं किया गया

\*\*\*\*\*